प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 09.03.2026

थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत अवैध शस्त्र के साथ अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध देशी तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद।

आज दिनांक 09.03.2026 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र के साथ अभियुक्त रहीस पुत्र स्व0 चांद खां निवासी ग्राम नाहली थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 45 वर्ष को थाना क्षेत्र भोजपुर से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अवैध देशी तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध बरामदगी के आधार पर थाना भोजपुर पर तत्काल सुसंगत धारा-3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि यह अवैध शस्त्र काफी समय पहले मेरे स्वर्गीय पिता चांद खां कहीं से लेकर आये थे जिनका इंतकाल हो चुका है। इसलिये मुझे जानकारी नही है कि कहां से लेकर आये थे। मैंने इसे जनता में अपना रौब जमाने और अपने शौक के लिये अपने पास अभी तक रखा हुआ था। मैं यह अवैध तमंचा व कारतूस लेकर बाहर निकला था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

रहीस पुत्र स्व0 चांद खां निवासी ग्राम नाहली थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 45 वर्ष

बरामदगी का विवरण –

01 अवैध देशी तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में थाना भोजपुर पर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने के संबध में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा उपरोक्त प्रकरण के संबंध में आर्म्स एक्ट के तहत 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना भोजपुर पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा अभियोग में 05 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 08/03/2026 को थाने पर जरिये पीआरवी डायल 112 की सूचना मिली कि मलिक नगर बम्बा नाले के पास दो पक्षो में पथराव हो गया जिसके बाद में थाना पुलिस रवाना होकर घटनास्थल पर पहुंचा तो दौराने जांच पता चला की दोनों पक्षों में लड़कों की लड़ाई को

लेकर विवाद हुआ है जिसमे प्रथम पक्ष के (1) साकिब पुत्र समसाद (2) फुरकान पुत्र नूर (3) सोनू पुत्र जहूर (4) नौशाद पुत्र नूर (5) समीर पुत्र मुस्तकीम (6) इकबाल पुत्र नूर (7) रमजान पुत्र नामालूम व द्वितीय पक्ष के (1) सावेज पुत्र मेहराजुद्दीन (2) महताब पुत्र सागिर (3) मेहरू पुत्र चाँद खान (4) अमजद पुत्र कादिर (5) आसिफ पुत्र हुसैन (6) सोएब पुत्र नईम (7) साजिद पुत्र हुसैन एवं दोनों पक्षों से 20 से 25 महिलाएँ व पुरुष अज्ञात समस्त निवासीगण मलिक नगर बम्बा रोड़ नाले के पास एक दूसरे पर ईंट पत्थरो व लाठी- डंडों से लेकर जान से मारने की धमकी देते हुए एक दूसरे पर हमला कर एक दूसरे की जान को जोखिम में डालकर मारपीट की घटना के समय दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पर पथराव किया गया। जिससे सड़क पर अफरातफरी का माहौल बन गया लोगों में भय व्याप्त हो गया और लोगों ने अपनी घरो दुकानों के दरवाजे बंद कर लिए इन दोनों पक्षों के द्वारा किये गये पथराव से दोनों पक्षों के कुछ लोगों को चोटें आयी व उक्त घटना में कुछ लोग घायल हो गये जिसमें दोनों पक्ष से घायलों का मेडिकल परीक्षण कराया गया, दोनों पक्षो में अचानक क्रोध आने पर गंभीर हमले की परिस्थिति बनी एक- दूसरे पर जान लेवा हमला किया, दोनों पक्षों के विरूद्ध थाने पर चौकी प्रभारी कस्बा द्वारा अन्तर्गत धारा 191(2), 191(3), 131,115(2), 352, 351(3) बीएनएस पंजीकृत कराया गया और अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु तत्काल पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 09.03.2026 को शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतू घटना में सम्मिलित अभियुक्तगण प्रथम पक्ष 1.फुरकान पुत्र नूर मोहम्मद उम्र करीब 40 वर्ष 2. शाकिब पुत्र शमशाद उम्र करीब 23 वर्ष 3. समीर पुत्र मुस्तकीम उम्र करीब 20 वर्ष निवासीगण मलिकनगर मुरादनगर व द्वितिय पक्ष 1.महताब पुत्र सगीर उम्र करीब 35 वर्ष 2. शमशेर पुत्र शहाबुद्दीन उम्र करीब 30 वर्ष निवासीगण मलिकनगर मुरादनगर को थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हमारे बच्चे मलिकनगर में मस्जिद के सामने खेल रहे थे, खेल-खेल में बच्चों का आपस में झगड़ा हो गया था, हम सब आपस में पडौसी हैं, हम भी वहाँ पहुँच गये और अपने- अपने बच्चों का पक्ष लेने लगे और झगड़ा बढ़ गया जिस कारण हम दोनों पक्ष आपस में गाली गलौच, मारपीट व पत्थरबाजी करने लगे।

गिरफतार अभियुक्तगण का नाम व पता -

1.फुरकान पुत्र नूर मोहम्मद उम्र करीब 40 वर्ष निवासी मलिकनगर मुरादनगर
2. शाकिब पुत्र शमशाद उम्र करीब 23 वर्ष निवासी मलिकनगर मुरादनगर
3. समीर पुत्र मुस्तकीम उम्र करीब 20 वर्ष निवासी मलिकनगर मुरादनगर
4.महताब पुत्र सगीर उम्र करीब 35 वर्ष निवासी मलिकनगर मुरादनगर
5. शमशेर पुत्र शहाबुद्दीन उम्र करीब 30 वर्ष निवासी मलिकनगर मुरादनगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा वादिया की नाबालिग भतीजी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म की घटना कारित करने वाला वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 28.05.25 को थाना टीलामोड पर वादिया की लिखित तहरीर के आधार पर वादिया की नाबालिग भतीजी को फिरोज अंसारी पुत्र अजल अपने साथ बहला फुसलाकर ले गया, जिसके सम्बन्ध में थाना टीलामोड पर धारा 137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक 09.03.26 को थाना टीलामोड टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर वादिया की नाबालिग भतीजी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म की घटना करने वाला वांछित 01 अभियुक्त फिरोज अंसारी पुत्र अजल निवासी ए 391 गली नं0 06 पुरानी सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 23 वर्ष को भोपुरा चौक के पास गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 137(2) बीएनएस में धारा 65(2) बीएनएस व 5(L)/6 पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त व पीडिता दोनों दो वर्ष से एक दूसरे को जानते थे और दिनांक 28.05.25 को अभियुक्त पीडिता को बहला फुसलाकर अपने साथ ले कर अजमेर चला गया था और वही पर रहने लगे, उसी दौरान दोनो के बीच शारीरिक सम्बन्ध बन गये थे। आज दिनांक 09.03.2026 को अभियुक्त व पीडिता अपने दोस्तो से मिलने आया थे कि मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- फिरोज अंसारी पुत्र अजल निवासी ए 391, गली नं0 06, पुरानी सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 23 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त फिरोज उपरोक्त के विरूद्ध गाजियाबाद व जनपद कासगंज में पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 चैन सफेद धातु की बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 08.01.2026 को वादी योगेन्द्र सिंह द्वारा थाना कौशाम्बी पर लिखित तहरीर दी और बताया कि दिनांक 10.12.2025 को 01 चैन सफेद धातु की व मेरा मोबाइल फोन चोरी हो गया है जिसका प्रयोग में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए प्रयोग करता था मेरे उस फोन का प्रयोग करके किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा 80,000/-रुपये की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर ली गयी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कौशाम्बी पर धारा 303(2)बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में दिनांक 08/09.03.2026 की रात्रि को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर 01 अभियुक्त देशराज उर्फ भूरा पुत्र मदनलाल निवासी ग्राम गुलडिया थाना जरीफनगर जनपद बदांयू पूर्व निवासी फुटपाथ नियर वेव सिनेमा तिराहा भोवापुर थाना कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष को चोरी की 01 चैन सफेद धातु की सहित यशोदा अस्पताल के पास मेट्रो लाईन के नीचे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोतरी कर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त देशराज उर्फ भूरा उपरोक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि लगभग तीन महीने पहले वेव कट के पास एक व्यक्ति पिज्जा की रेहडी लगाता था जो विकलागं है। मैने कई बार उसकी रेहडी से पिज्जा माँगकर व खरदीकर खाया है। उसी दौरान मैंने उसके मोबाइल के यूपीआई /पेटीएम का कोड देख लिया था क्योकि उसकी दुकान अच्छी चलती है। इसलिए उसके फोन में काफी रुपये रहते थे तो उसका फोन चोरी करने की तलाश में मैं लग गया था दिनांक 10.12.2025 को मैं उसके पास पिज्जा खाने गया रेहडी वाला जैसे ही पानी लेने के लिए झुका तो मैंने मौका पाकर उसका विवो का फोन चुरा लिया तथा फोन के पास ही चांदी की चैन रखी थी उसे भी चुरा लिया था और वहाँ से भाग गया था। मैने चैन तो अपने गले में पहन ली थी। मुझे उसके मोबाइल का पिन पता था तो मैंने उसके फोन से तीन बार मे कुल 80000/-अस्सी हजार रुपये उसी दिन ट्रांसफर कर लिये थे। और मैंने उनको निकालने का काफी प्रयास किया परन्तु मेरा खाता बन्द हो गया था और उसका फोन मैं अपने घर बदायूँ गया था तो ट्रेन से फेंक दिया था। मै अधिकतर वेव कट कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन के पास लगी रेहडी पटरी वालो को ही निशाना बनाता हूँ और उनका सामान फोन/ पेटीएम क्यूआर कोड आदि चोरी कर ले जाता हूँ। आज भी मैं इसी उद्देश्य से आया था कि आपने पकड़ लिया। साहब मुझे माफ कर दो मुझसे गलती हो गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

- देशराज उर्फ भूरा पुत्र मदनलाल निवासी ग्राम गुलडिया थाना जरीफनगर जनपद बदांयू पूर्व निवासी फुटपाथ नियर वेव सिनेमा तिराहा भोवापुर थाना कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- चोरी की 01 चैन सफेद धातु की बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना कौशाम्बी परउपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम ।